फर्द अहकाम (नियम 26)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 47/2022 अनवान :- बनवारीलाल बनाम लालचन्द

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हु

03.08.2023 वकील प्रार्थी उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में जैरकार था जिस पर दिनांक 27.01.2022 से आगामी दिनांक 02.02.2022 तय की गई थी। दिनांक 27.01.2022 को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक के द्वारा आदेशिका पर अण्डरटेकिग देते हुए अपना जबाब व वकालतनामा पेश करनें हेतु समय चाहा था जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा आगामी पेशी दिनांक 02.02.2022 मुकर्रर की गई थी। दिनांक 27.01.2022 को लिपिकिय सहवन से वादी के वाद पत्र को विड्रा करनें के एक पक्षीय आदेश दे दिये गये जिसकी प्रतिवादी संख्या 1 को सूचना भी नहीं दी गई थी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपना जबाब दावा मय प्रतिदावा पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। को न्यायाहित में पुनः पेशी पर लिया जाकर वाद पत्र को आगामी सुनवाई किये जानें के आदेश सम्बधित सिगेदार को प्रदान किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि मूल वाद संख्या 199/2021 अनवान बनवारीलाल बनाम लालचन्द में दिनांक 27.01.2022 नियत की गई थी जिसमें वकिल प्रतिवादी द्वारा भी अण्डरटेकिग दी गई थी परन्तु दिनांक 27.01.2022 को वकील प्रतिवादी द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा वादी द्वारा दिनांक 27.01.2022 को अपना वाद पत्र विड्रा किया जा चुका है।

चुंकि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र को विड्रा किये जानें से पूर्व प्रतिवादी द्वारा ना तो वकालतनामा प्रस्तुत किया गया तथा ना ही जबाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को विड्रा करनें के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर पत्रावली को पुनः रिस्टोर किया जाकर जबाबदावा मय प्रतिदावा को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है। प्रतिवादी अपनें प्रतिदावा के सन्दर्भ में नया वाद पेश करनें हेतु स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. को वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 03.08.2023 को सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Sanjana

(संजना जोशी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा